कानून क्षेत्र का नाम: स्त्री
अनुच्छेद का नाम: विशिष्ट कानून
उप-अनुच्छेद का नाम: दहेज निषेध अधिनियम

कानून संक्षेप में

दहेज निषेध अधिनियम के अंतर्गत दहेज लेना और देना, दोनों अपराध होता है। दहेज की माँग करना या इसको लेने या देने का बढ़ावा देना भी कानूनन अपराध है। दहेज लेने या देने का कोई समझौता अमान्य होता है। यदि दहेज दिया जाता है तो इसे दुल्हन की सहमति से पति तथा सास-ससुर के पास रखा जाना चाहिए। यदि दुल्हन द्वारा इसकी माँग की जाती है तो उसे किसी भी समय वापस किया जाना चाहिए। वास्तव में दहेज की राशि दुल्हन की माँग पर प्राप्ति के 3 महीने के भीतर अवश्य वापस किया जाना चाहिए।

दहेज भारतीय समाज की एक विकृति है जिसमें बहुओं को जलाने, हत्या, इससे संबंधित उत्पीड़न इत्यादि की घटनाएँ आम हैं। इन अपराधों हेतु काफी कड़े कानून बनाये गये हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए निर्ममता तथा दहेज के लिए उत्पीड़न, 303बी-इससे होने वाली मृत्यु और 496- उत्पीड़न से तंग आकर महिलाओं द्वारा आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाली घटनाओं से निपटने हेतु कानून का प्रावधान है।

आइये जानें कि दहेज की लेन-देन पर कानून क्या कहता है।

कानून के बारे में विस्तृत जानकारी

दहेज का अर्थ-
- दी गई या किसी संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा को देने का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करार करना।
- विवाह के एक पक्ष द्वारा दूसरे को, अथवा
- दोनों पक्षों के माता-पिता द्वारा, या
- किसी व्यक्ति द्वारा
- विवाह के दोनों पक्षों को, या
- या किसी अन्य व्यक्ति को
- विवाह के वक्त या विवाह के बाद किसी समय
- उक्त पक्षों के विवाह से संबंध में
- यह मुस्लिम समुदाय द्वारा लिया जाने वाला 'मेहर' को शामिल नहीं करता।

विवाह के समय या बाद में दिये जाने वाले पारंपरिक तोहफे को दहेज में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि ये माता-पिता या वधू के संबंधियों द्वारा स्नेह के रूप में स्वेच्छा से दिये जाते हैं। भविष्य में होने वाले कानूनी पचड़ों से बचने के लिए दहेज निषेध, अधिनियम, 1985 (वर-वधू द्वारा प्राप्त तोहफे की सूची तैयार करना) द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि वधु तथा वर द्वारा प्राप्त तोहफे को दोनों द्वारा लिखित दर्ज किया जाना चाहिए।

दहेज लेना-देना या इसे बढ़ावा दिया जाना दंडनीय अपराध है, जिसमें कम से कम 5 सालों की सजा और कम से कम 15,000 या दहेज की राशि (दोनों में जो अधिक हो) मूल्य के जुर्माने का प्रावधान है।

दहेज की माँग करना भी दंडनीय है, जिसके लिए 6 महीनों से लेकर 2 सालों की सजा हो सकती है। इसके अतिरिक्त 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

किसी भी प्रकार के मीडिया में दहेज लेने या देने के लिए विज्ञापन करने के लिए 6 महीने से लेकर 5 साल की सजा या 15,000 रुपये का जुर्माने का प्रावधान है।
पत्नी के नाम पर दहेज की राशि को उल्लिखित समय के भीतर हस्तांतरण न करने पर 6 महीने से लेकर 2 वर्षों की सजा या 5,000 से 10,000 रुपये की आर्थिक दंड का प्रावधान है।

इस अधिनियम के तहत होने वाले अपराध, संज्ञेय (केवल कुछ निश्चित उद्देश्यों हेतु), असमाधेय तथा गैर-जमानती होते हैं।

इस अधिनियम के तहत होने वाले अपराध केवल अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 42 के तहत जांच करने या अन्य मामलों के उद्देश्य हेतु ही संज्ञेय होते हैं। अतः इस अधिनियम के तहत व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए वारंट अनिवार्य होता है।

निदान की प्रक्रिया

किस सेक्शन के तहत शिकायत दर्ज कराई जाए?
धारा 3: दहेज लेना या देना, दोनों एक अपराध है।
धारा 4: दहेज की माँग करना एक अपराध है।
भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए: दहेज पाने के लिए क्रूरता

भारतीय दंड संहिता की धारा 304: दहेज से होने वाली मृत्यु

शिकायत किसे/कहाँ की जाए?

कोई व्यक्ति निकट के पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा सकता है।
शिकायत विवाह के 10 वर्षों के भीतर दर्ज करवाई जा सकती है।
कोई मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने विचार से या पुलिस द्वारा दिए रिपोर्ट अथवा पीड़ित व्यक्ति या माता-पिता अथवा किसी संबंधी द्वारा या किसी मान्यताप्राप्त कल्याण संस्था या संगठन द्वारा दर्ज कराई शिकायत के आधार पर इस अधिनियम के तहत अपराध का संज्ञान ले सकता है
परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के अनुसार, दहेज संबंधी सभी अपराध, वधु को जलाने तथा उसकी मृत्यु को छोड़कर, सुनवाई परिवार न्यायालय द्वारा की जाएगी।

अपराध दंड संहिता की धारा 46 में अवधि की सीमा निम्नांकित रूप में दी गई है:
1. 6 महीने- केवल जुर्माने वाले अपराध के लिए।
2. 1 वर्ष- ऐसे अपराध के लिए कैद की सजा जो 1 वर्ष से अधिक की न हो।
3. 3 वर्ष- ऐसे अपराध के लिए कैद की सजा जो 1 वर्ष से अधिक तथा 3 वर्ष से अधिक न हो।

मुकदमा कैसे दर्ज कराएं ?

हमारी राज्य सरकार ने आंध्र प्रदेश दहेज निषेध नियम 1998 लागू किया है, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान हैं:

• जब गाँव के सरपंच या ग्राम सहायक अधिकारी या किसी महिला संगठन द्वारा यह पता चलता है कि गांव के किसी विवाह में इस अधिनियम का उल्लंघन किया जा रहा है, तो उसे विवाह में उपस्थित होना चाहिए और इसे मंडल राजस्व अधिकारी को सूचित किया जाना चाहिए।
• शिकायत मिलने पर मंडल राजस्व अधिकारी 3 दिनों के भीतर मामला दर्ज करेगा और तत्काल कार्रवाई करगा। यह मंडल राजस्व अधिकारी का कर्तव्य है कि यह संयुक्त कलेक्टर या राजस्व मंडल अधिकारी को ऐसे मामलों की मासिक रिपोर्ट भेजेगा।

जब अदालत में किसी दहेज मामले को दर्ज कराया जाता है तो साक्ष्य प्रस्तुत करने का भार अभियुक्त पर होता है कि वह यह साबित करे कि इस अधिनियम के तहत उसने कोई अपराध नहीं किया है।

दहेज संबंधित मामलों के लिए महिला के पास प्रभावी समाधान हैं। जहाँ उसे स्त्रीधन दिए जाने से इन्कार किया जाता है, वह भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के तहत एक मुकदमा दायर कर सकती है। अगर उसके साथ दहेज को लेकर क्रूरता बरती गई है तो वह यह शिकायत भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के तहत कर सकती है। चोट या गंभीर चोट के लिए मुकदमा, धारा 324 या 326 के तहत दायर किया जा सकता है। अगर उसे गैर-कानूनी तौर से बंद किया गया है तो इसके लिए धारा 342 तथा 341 के तहत शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। उपरोक्त सभी या कुछ धारा के जरिए दोषी के खिलाफ एक मजबूत मुकदमा दायर किया जा सकता है।

आगे क्या होगा ?

अपराध प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत मामले की प्रक्रिया तय की जाएगी। अपील तथा पुनरावलोकन के लिए संबद्ध प्रावधान दिए गए हैं।

वैकल्पिक निदान

प्रभावी तथा त्वरित समाधान के लिए राज्य/ जिला न्यायिक सेवा प्राधिकार से संपर्क किया जा सकता है।